संख्या27-/2024/770ई-2/तेरह-2024-229956

प्रेषक,

दुर्गा सिंह
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 19 सितम्बर, 2024

विषयः-मेसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, डिस्टिलरी यूनिट, रानी नांगल, पोस्ट-अलियाबाद पिपली, तहसील-ठाकुर द्वारा, जनपद मुरादाबाद को बी-हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन किये जाने के कारण अधिष्ठापित क्षमता में अंतरिम रूप से वृद्धि किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-45/दो-प्रा.डी.-277/त्रिवेणी इंजी./मुरादाबाद, दिनांक 02-09-2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 02-09-2024 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, डिस्टिलरी यूनिट, रानी नांगल, पोस्ट-अलियाबाद पिपली, तहसील-ठाकुर द्वारा, जनपद मुरादाबाद को स्वीकृत अधिष्ठापित क्षमता 200 कि०ली० प्रतिदिन अर्थात 350 कार्य दिवस के आधार पर 700 लाख लीटर वार्षिक के अतिरिक्त अन्तरिम रूप से 20 प्रतिशत अर्थात 40 कि०ली० प्रतिदिन अर्थात 350 कार्य दिवस के आधार पर 140 लाख लीटर वार्षिक अर्थात कुल वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 840 लाख लीटर वार्षिक एथनॉल का उत्पादन बी-हैवी शीरे से किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी/इकाई द्वारा निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगाः-

(1) शासनादेश संख्या:311ई-2/तेरह-2021-97/2015, दिनांक 01.02.2021 तथा भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित सम्बन्धित समस्त आवश्यक पर्यावरणीय व अन्य सांविधिक शर्तें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदत्त ''नो इन्क्रीज इन पलूशन लोड'' दिनांक 11-03-2024 में उल्लिखित शर्तें।

(3) आसवक द्वारा बढ़ी हुयी क्षमता पर नियमानुसार तत्काल अनुज्ञापन शुल्क जमा किया जायेगा तथा आसवनी में बी-हैवी शीरे के उपभोग के समाप्त होने पर सी-हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु आसवनी के सहायक आबकारी आयुक्त से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(4) शासनादेश संख्या-48/2023/1682ई-2/तेरह-2023-229956, दिनांक 19-12-2023 में उल्लिखित सुसंगत प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

(6) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों/ नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।